3. पर्यवेक्षण के चैनल सहित निर्णय लेने की क्रियाविधि में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

फील्ड स्तर पर स्वास्थ्य इकाइयों की गतिविधियों का प्रबंधन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है। अस्पताल में पर्यवेक्षण के दो स्तर हैं –

प्रथम स्तर पर चिकित्सा अधिकारी उपचारात्मक सेवाओं से संबंधित सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है|

द्वितीय स्तर पर पर्यावरण स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी निवारक गतिविधियों में, स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा स्वच्छता की निगरानी की जाती है, जो संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के नियंत्रण में हैं।

फील्ड के सभी चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बीकानेर के नियंत्रण में हैं। प्रमुख निर्णय जैसे नीतिगत निर्णय, कर्मचारी कल्याण, पदों का सृजन, अतिरिक्त परिसंपत्ति, सुविधाओं का विस्तार आदि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा लिए जाते हैं। जो निर्णय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की क्षमता से परे हैं, उन्हें अपर मंडल रेल प्रबधक, मंडल रेल प्रबधक अथवा प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक (प्रधान कार्यालय) को निपटान हेतु भेजा जाता है ।